फर्द अहकाम

(नियम–13)

(Genral Rulas (Civil), Rule 103, Appendix B Form No. 91)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डीडवाना जिला–डीडवाना–कुचामन (राज0)

वादी		प्रतिवादीगण
क कुमार पुत्र स्व0 मदनलाल जाति महाजन ल निवासी डाबड़ा तहसील डीडवाना जिला ाना–कुचामन (राज0)	बनाम	सागरमल पुत्र स्व0 मदनलाल जाति महाजन बग्रवाल निवासी डाबड़ा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन (राज0) व अन्य

मुकदमा अन्तर्गत धारा 88, 136,188 आर.टी.एक्ट — मुकदमा संख्याः–2024 / 29

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
13.02.2024	वादी अशोक कुमार की तरफ से उनके अधिवक्ता ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 136,188 आर.टी.एक्ट प्रतिवादीगण सागरमल वगै0 के विरूद्ध पेश किया जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिसेज के तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 16.04.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी डीडवाना 16/5/24 पत्रावली पेश हुई । श्री मान् P.O. का. अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है। मिसल दिनांक 28/5/24 को पेश हो। 28/5/24 पत्रावली पेश हुई । बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा है, मिसल दिनांक 24/6/24 को पेश हो । 24/6/24 वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगणों के सम्मन वापिस मुख्य कारण वापिस प्राप्त नहीं पुनः PIF सम्मन पेश करें, पेश होने पर सम्मन जारी हो पत्रावली वास्ते तामील दिनांक 08/08/24 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी 8/8/24 पत्रावली पेश हुई । श्री मान P.O. डीडवाना अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है। मिसल दिनांक 21/8/24 को पेश हो। 21/8/2024 वादी के आवेदन पर पत्रावली आज [illegible] वादी स्वयं उपस्थित [illegible] आवेदन [illegible] वाद को प्रत्याहरित करने [illegible] सुना गया । वादी अपने [illegible] रखा है अतः आवेदन स्वीकार कर नया वाद पेश करने की अनुमति के साथ हस्तगत वाद जरिए प्रत्याहरण के खारिज किया जाता है। पत्रावली अपने नम्बर से रूम होकर कार्यालय दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी डीडवाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:55:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner